न्यायालयः जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हापुड़।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र संख्या 36 सन 2019

कम्प्यूटर पंजीकरण सं0 36/2019

रजनीश कुमार **बनाम** उत्तर प्रदेश राज्य

10.12.2019

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र वास्ते आदेश हुआ।

प्रार्थी/अभियुक्त रजनीश कुमार की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3ख इस आशय से प्रस्तुत किया गया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 226/2019 रजनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के न्यायालय से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ में अन्तरित किया जाये।

सम्बन्धित न्यायालय से रिपोर्ट मंगायी गयी।

मैंने अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता व जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुन लिया है तथा पत्रावली का अवलोकन कर लिया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि उक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ में विचाराधीन है। उक्त मुकदमा अपराध सं0 745/2019 से सम्बन्धित सहअभियुक्त नरेश कुमार अग्रवाल (कसेरा) की अग्रिम जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ से दिनांक 04.12.2019 को स्वीकार की जा चुकी है। सहअभियुक्त कृष्ण कुमार अग्रवाल का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 217/2019 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ के न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें दिनांक 09.12.2019 नियत है। उक्त आधारों पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 226/2019 रजनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 504, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के न्यायालय से अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ में अन्तरित किया जाये।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 226/2019 रजनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़, इस न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें वास्ते सुनवाई दिनांक 10.12.2019 नियत है। प्रार्थनापत्र में इस न्यायालय के विरूद्ध कोई कथन नहीं किए गए हैं। इस अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को किसी अन्य न्यायालय में अन्तरित किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ की चिक एफ0आई0आर0 से विदित होता है कि उक्त मामले में अभियुक्तगण नरेश कसेरा, के.के. अग्रवाल, रजनीश अग्रवाल, सुशील अग्रवाल हैं।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में सम्बन्धित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के विरूद्ध कोई अभिकथन नहीं किया गया है।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र इस आधार पर दिया गया है कि मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 406, 506 भा0दं0स0 थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़ में सहअभियुक्त नरेश कुमार अग्रवाल (कसेरा) की जमानत अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ द्वारा दिनांक 04.12.2019 को स्वीकार की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत आदेश की फोटोस्टेट प्रति से होती है।

स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में यह भी अंकित है कि सहअभियुक्त कृष्ण कुमार अग्रवाल का जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 217/2019 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ के यहां विचाराधीन है। लिपिक की रिपोर्ट से इस बात की पुष्टि होती है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 217/2019 दिनांक 14.11.2019 को अपर सत्र न्यायाधीश हापुड़ के न्यायालय में अन्तरित किया गया है।

एक ही अपराध से सम्बन्धित मामले का निस्तारण एक ही न्यायालय से होने से समानता बनी रहती है। स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के विरूद्ध कोई अभिकथन नहीं किया गया है।

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय प्रथम, हापुड़ को जमानत प्रार्थनापत्र स्थानान्तरित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

उक्त स्थिति में मेरी राय है कि अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 226/2019 रजनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 504, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के न्यायालय से वापस लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ के न्यायालय में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किये जाने योग्य है। तदनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 4ख स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त रजनीश कुमार का स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 4ख स्वीकार किया जाता है। अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं0 226/2019 रजनीश कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मुकदमा अपराध सं0 745/2019 अन्तर्गत धारा 420, 504, 506 भा0दं0स0, थाना हापुड़ नगर, जिला हापुड़, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय, प्रथम हापुड़ के न्यायालय से वापस लेकर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हापुड़ के न्यायालय में विधि के अनुसार निस्तारण हेतु अन्तरित किया जाता है।

आदेश की प्रति अनुपालन हेतु सम्बन्धित न्यायालय भेजी जाये।

(विनोद कुमार सिंह–III)
सत्र न्यायाधीश,
हापुड़।